न्यायालयः– विशिष्ठ न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम प्रकरण

(सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री ओमी पुरोहित

प्रकरण संख्या– 57/2018

CNR NO. RJJS010006142018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–01/2018 पुलिस थाना, नोख, जिला जैसलमेर।

राजस्थान राज्य बनाम चन्दनसिंह व अन्य

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 136 विद्युत अधिनियम

भाग– प्रथम

A

परिवादी	दिलीप कुमार
प्रस्तुतकर्ता	दिलीप कुमार
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. चन्दनसिंह पुत्र तगसिंह उम्र 32 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर। 2. पृथ्वीसिंह पुत्र तखतसिंह उम्र 34 साल निवासी बोड़ाना पुलिस थाना, नोख जिला जैसलमेर। 3. आसुसिंह पुत्र नखतसिंह उम्र 28 साल निवासी बोड़ाना पुलिस थाना, नोख जिला जैसलमेर। 4. सुमेरसिंह पुत्र नखतसिंह उम्र 29 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर। 5. बाबूसिंह पुत्र तगसिंह उम्र 47 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री इन्द्रसिंह भाटी

B

अपराध की दिनांक	12.01.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12.01.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	30.05.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	29.08.2018
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	12.12.2018
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.03.2026
निर्णय दिनांक	18.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

Authenticated Document

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01. 02. 03. 04. 05.	चन्दनसिंह पृथ्वीसिंह आसुसिंह सुमेरसिंह बाबूसिंह	12.01.18	20.01.18	379 भा.दं.सं. एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	09 दिन

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	दिलीप कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	गुमानसिंह	नक्शा मौका एवं हालात मौका
पी.डब्ल्यू 3	ओमप्रकाश	बरामदगी का मौतबिर
पी.डब्ल्यू 4	सत्यनारायण	बरामदगी का मौतबिर
पी.डब्ल्यू 5	मनोज कुमार	गवाह
पी.डब्ल्यू 6	बाबूलाल	गवाह
पी.डब्ल्यू 7	रमेश कुमार	गवाह
पी.डब्ल्यू 8	सवाईसिंह	मौका का गवाह
पी.डब्लू 9	अभयसिंह	रिपोर्ट पेश करने का गवाह
पी.डब्लू.10	रेंवतसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्लू.11	कुशलसिंह	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1	फर्द जब्ती वाहन बोलेरो डी.आर.नं.आर.जे.04 TA 3320
2	प्रदर्श पी. 2	फर्द जब्ती 132 KV विद्युत लाईन के तार
3	प्रदर्श पी. 3	फर्द गिरफतारी अभियुक्त चन्दनसिंह
4	प्रदर्श पी. 4	फर्द गिरफतारी अभियुक्त पृथ्वीसिंह
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द गिरफतारी अभियुक्त आसुसिंह
6	प्रदर्श पी. 6	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सुमेरसिंह
7	प्रदर्श पी. 7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बाबूसिंह
8	प्रदर्श पी. 8	फर्द नक्शा एवं हालात मौका
9	प्रदर्श पी. 9	फर्द नक्शा नजरी जब्तीस्थल विद्युत लाईन के तार, कुल्हाडी
10	प्रदर्श पी. 10	फर्द जब्ती 132 के.वी.विद्युत लाईन के तार के बंडल
11	प्रदर्श पी. 11	फर्द नक्शा नजरी जब्ती स्थल विद्युत लाईन के तार के दो बण्डल
12	प्रदर्श पी. 12	फर्द जब्ती 132 के.वी.विद्युत लाईन केतार के तीन बण्डल
13	प्रदर्श पी. 13	फर्द नक्शा नजरी जब्ती स्थल विद्युत लाईन के तार के तीन बण्डल
14	प्रदर्श पी. 14	फर्द जब्त सुदा 132 के.वी.विद्युत लाईन के तार के 13 बण्डल
15	प्रदर्श पी. 15	लिखित रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी.16	दिलीप कुमार द्वारा पेश रिपोर्ट
17	प्रदर्श.पी.17	पर्चा एफआईआर
18	प्रदर्श.पी.18	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला द्वारा अभियुक्त पृथ्वीसिंह
19.	प्रदर्श.पी.19	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला द्वारा अभियुक्त चन्दनसिंह
20.	प्रदर्श.पी.20 से प्रदर्श.पी.24	वाहन बोलेरो संख्या आर.जे.04 टी.ए.3320 के फोटोग्राफस

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
––		

नि र्ण य **दिनांक–18.03.2026**

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक–12.01.2018 को परिवादी दिलीप कुमार हैड कांस्टेबल ने पुलिस थाना, नोख जिला जैसलमेर में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 12.01.2018 को सुबह हैड कानि. दिलीप कुमार नं. 20 को जरिये खास मुखबीर ईतला मिली की एक तार चोर की गैंग तार काटकर ले जाने हेतु सरहद बोडाना में तालरिया बोडाना के पास आई हुई है। वगैरा ईतला से आप थानाधिकारी को अवगत करवाकर माफिक निर्देश मन हैड कानि. दिलीप कुमार नंबर 20 मय पुलिस जाब्ता थाना से वक्त 03.30 एएम पर रवाना होकर तालरिया होता हुआ. वक्त 04.00 एएम सरहद बोड़ाना, बोड़ाना से करीब 03 किमी. पहले सुनसान ऐरिया में निकल रही विधुत लाईन के आस–पास कच्चे रास्ते की मालूमात की तो सड़क के दाहिने तरफ एक कच्चा रास्ता जाना तथा ताजे टायर मार्क नजर आये, जिस पर मुखबीर की ईतला अनुसार तार कटीग करने आई गैंग के सम्बन्ध में रेकी करने हेतु कानि. ओमप्रकाश नं. 483, व कानि. खेतपालसिंह नं. 719 को कच्चे रास्ता रास्ता विद्युत टावरों/पोलों के पास–पास रेकी करने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। मन हैड कानि. मय जाब्ता कच्चे रास्ते पर नाकाबन्दी में मसगुल हुआ, कानि. ओमप्रकाश नं. 483, व कानि. खेतपालसिंह नं. 719, बाद रेकी वक्त 06.15 एएम पर वापस नाका स्थान पर आये व बताया कि नाका स्थान के करीब 02 किमी. कालीडोरी बोड़ाना कच्चे मार्ग के पूर्व दिशा में टावरों के पास 04–05 व्यक्ति तारों की कटींग कर रहे है व एक गाड़ी भी खड़ी है जो 15–20 मिनट में भरकर इसी रास्ते से आने की पुर्ण संभावना है। जिस पर संदिग्धों को एक साथ मय गाड़ी पकड़ने हेतु मय जाब्ता सतर्कता से नाकाबन्दी शुरू की गई। 15–20 मिनट तक इन्तजार किया, मगर कोई वाहन आता दिखाई नहीं दिया तो मन हैड कानि. मय जाब्ता के कच्चे रास्ते से रेकी कर आये मुलाजमनों द्वारा बताये स्थान की और रवाना हुआ करीब 02 किमी. आगे रास्ते से पुर्व की तरफ टावरों/पोलों के नजदीक पहुँचा तो उनकी गाड़ी की लाईटे देखकर एक वाहन स्टार्ट होकर उजड़ रास्ते में जाने लगा जिसका पीछा किया तो इधर–उधर नजदीक ऐरिया में झाड़ियों से टकराता हुआ, रेत के टिले व झाड़ियों में धंसजाना /फसजाना दिखाई दिया जिसके पास पहुँचे कि वाहन में से आगे बैठे दो व्यक्ति बाहर निकलकर भागने का प्रयास करने लगे, 03 व्यक्ति गाडी के अन्दर बैठे पाये गये, जिन्हे दस्तयाब किया तथा कानि. रामचन्द्र नं. 512 व कानि. सत्यानारायण नं. 406 द्वारा वाहन से भागे व्यक्तियों का पिछा कर दोनों को दस्तयाब कर वाहन के पास लाये,

वाहन बन्द बॉडी बोलेरो डी.आई. नं. आर.जे. 04 टीए 3320 बीच की सीट निकाली हुई, व गाड़ी के अन्दर विधुत टावरों / पोंलों से काटकर चुराकर भरा हुआ 132 केवी. विधुत लाईन का तार के बन्डल पाये गये, वाहन झाड़ियों में भागने से शीशे टूटे हुए पाये गए, वाहन में बैठे पाये गये, पाँचों व्यक्तियों का नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम चन्दनसिंह पुत्र तगसिंह राजपूत निवासी छायण होना, व दूसरे ने अपना नाम बाबूसिंह पुत्र तगसिंह राजपूत निवासी छायण, तीसरे ने सुमेरसिंह पुत्र नखतसिंह राजपूत निवासी छायण, चोथे ने आसूसिंह पुत्र नखतसिंह राजपूत निवासी बोड़ाना, तथा पाँचवे ने पृथ्वीसिंह पुत्र तखतसिह राजपूत निवासी बोड़ाना होना बताया, जिनसे वाहन में भरे विद्युत तार के बारे में पुछताछ की गई तो पास ही चल रही बन्द पड़ी विधुत लाईन से काटकर चुराना गाड़ी में भरना बताया, पास ही चल रही विधुत लाईन की तरफ नजर दौड़ाई गई तो पम्पिंग स्टैंशन नम्बर 01 से अभिजीत सोलर प्लॉट को जाने वाली बन्द पड़ी विधुत लाईन के तारों में से ऊपरी एक लाईन के अलावा बाकी 04 तारों की लाईन गायब पाई गई। चुकिं उक्त पॉचों व्यक्तियों द्वारा पम्पिंग स्टेंशन नम्बर 01 से अभिजीत सोलर प्लॉट को जाने वाली बन्द पड़ी विधुत लाईन के टावरों से तार काटकर चुराकर वाहन में भरना जुर्म धारा 379 भादस व 136 विधुत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से आस–पास कोई स्वतंत्र मौतबिर उपलब्ध नहीं होने से हमरा मुलाजमान में से कानि. ओमप्रकाश नं. 483. व कानि. खेतपालसिंह नं. 719 को मौतबिर मौका मामुर कर वाहन में भरे विद्युत लाईन के तार के बन्डल बाहर निकालकर चैक किये तो आठ बन्डल कुल बजनी करीब 07 क्विटल होना पाये गये, जो तार ऐल्युमिनियम व लोहें के 37 तारों से गुन्धा हुआ पाया गया, तथा गाड़ी में एक लोहे की कुल्हाड़ी व एक लोहें का करीब एक फिट लम्बा चीला पाया गया, जो विद्युत तार के बन्डल व कुल्हाड़ी व चीला वास्ते वजह सबूत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, चेपा मार्क क्रमशः ए.बी. व सी अंकित किये गये, चोरी का तार परिवहन में प्रयुक्त बन्द बॉडी बोलेरो डी.आई. नं. आरजे. 04 टीए 3320 को वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती के अलग से जब्त कर कब्जा पुलिस ली गई तथा धसी/फसी हुई गाड़ी को निकालकर तार के बन्डल वापस गाड़ी में डाले गये मुल्जिमान चन्दनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह, आसूसिंह व पृथ्वीसिंह को बाद पुछताछ धारा 41 जाब्ता फौजदारी की पालना कर चैक लिस्ट मुर्तिब कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किये गये, बाद मौका की कार्यवाही के मय जाब्ता व जब्तसुदा तार, वाहन, व गिरफ्तार सुंदा मुल्जिमान के रवाना होकर थाना आया। अतः मुर्तिबा फर्दात जब्तसुदा विधतु लाईन के तारों के आठ बन्डल एक कुल्हाड़ी व एक चीला, परिवहन में प्रयुक्त जब्तसुदा वाहन बोलेरों डीआई. आर.जे. 04 टीए 3320 मय गिरफ्तार सुदा मुल्जिमान चन्दनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह, आसूसिंह व पृथ्वीसिंह के पेश कर निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर कानून कार्यवाही करने की कृपा करावे। उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर बाद तफतीश मुलजिमान चन्दनसिंह, पृथ्वीसिंह, आसुसिंह, सुमेरसिंह एवं बाबूसिंह के खिलाफ धारा 379 भा.दं.सं. एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश करना वर्णित किया।

02. बहस आरोप सुन मुलजिमान को धारा–379 भा.दं.सं. एवं धारा 136 विद्युत

अधिनियम का आरोप विरचित कर सुनाया समझाया गया, जिस पर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान को धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें मुलजिमान ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं जाहिर किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

04. उभयपक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमें इस प्रकरण में यह देखना है कि–

1. क्या मुलजिमान ने दिनांक 12.01.2018 को 6.15 पी.एम. के लगभग सरहद बोडाना से करीब 3 कि.मी.सुनसान जगह पर अभिजीत प्लांट को जाने वाली 132 के.वी.विद्युत लाईन के करीब सात क्विंटल तार को बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए काटकर चुराकर वाहन संख्या आर.जे.04 टी.ए.3320 में भरकर ले जाये गये?
2. यदि कोई अपराध साबित हुआ तो उसका दण्ड ?

05. विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने यह भी जाहिर किया कि मुलजिमान को झूठा फंसाया गया है, मुलजिमान ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण में बरामद माल की शिनाख्त नहीं कराई गई हैं। चोरी होने की रिपोर्ट वक्त बरामदगी माल नहीं दी गई हैं। प्रदर्श.पी.15 अभिजीत कंपनी की तरफ से अभिजीत सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी ने दिनांक 31.03.2018 को रिपोर्ट दी है जबकि प्रदर्श.पी.16 रिपोर्ट दिलीप कुमार हैड कांस्टेबल ने दी है, जिसकी चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं है न ही उसकी कोई सूचना है।

06. विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने यह भी जाहिर किया कि गवाह पी.डब्लू.09 अभयसिंह जिसने घटना के करीब तीन माह बाद रिपोर्ट दी है। अपने बयानों की जिरह में जाहिर करता है कि यह कंपनी वर्ष,2013 से बंद पडी थी जिनके द्वारा बिजली का तारों में प्रवाह नहीं किया जाता है। अभिजीत सोलर पॉवर प्लांट ने बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया था। बैंक वालों व उक्त कम्पनी का लोनिंग के मामले में विवाद हो गया था, जिस कारण काम बंद हो गया था। उससे किसी तारों की पहचान नहीं करायी थी व न ही आज तारें उसके सामने न्यायालय में है।

07. विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने यह भी जाहिर किया कि गवाह पी.डब्लू.04 सत्यनारायण, पी.डब्लू.05 रामचन्द्र, पी.डब्लू.06 बाबूलाल एवं पी.डब्लू.07 रमेश कुमार जो कि परिवादी पी.डब्लू.01 दिलीप कुमार के साथ जाब्ता दल के सदस्य थे, अपने जिरह के बयानों में जाहिर करते है कि कथित जब्तसुदा तारें अदालत में नही है। इन तारों की पहचान उसके सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी थी। बरामदसुदा नंगी तारें थी जिन पर किसी का पहचान मार्का अंकित नही था। कथित तारें अनुपयोगी थी। मुलजिमान के सचेतन भौतिक कब्जे से तारें बरामद नहीं हुयी थी। कथित बरामदगी स्थल खुला था जहां पर कोई भी आ–जा सकता था। मुलजिमान के विरूद्ध किसी भी कम्पनी की ओर से कथित घटना करने की एफआइआर पेश नहीं की गयी थी।

08. विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने यह भी जाहिर किया कि महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियोजन मुलजिमान के खिलाफ धारा–379 भा.दं.सं. एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम का आरोप साबित करने में असफल रहा है। बरी करने का निवेदन किया।

09. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जाहिर किया कि परिवादी के बयान एवं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अन्य गवाहान के बयानों से मुलजिमान के खिलाफ आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः मुलजिमान के खिलाफ धारा–379 भा.दं.सं. एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम का आरोप साबित है। दोषसिद्ध कर दण्डित करने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर गौर किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गवाहान की साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है –

11. गवाह पी.डब्लू.01 दिलीप कुमार परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 12.01.2018 को मैं पुलिस थाना नोख में है०कां० के पद पर पदस्थापित था। उस रोज रात्रि में मन है०कां० को जरिये मुखबिर सुचना मिली कि तार चोरों की गैंग सरहद बोराना में तार काट रही है जिस पर मैं है०कां० मय कां. औमप्रकाश, सत्यनारायण, खेतपालसिंह, बाबुलाल, रामचन्द्र वगैरा के साथ 3.30 ए.एम. पर थाना से रवाना होकर तालरिया होते हुवे बोडाणा से 3 किमी पहले मालूमात की तो कच्चे रास्ते पर ताजा गाडी के टायरों के निशान नजर आये जिस पर का० खेतपालसिंह व औमप्रकाश को विद्युत टावरों की लाइन के पास रैकी करने हेतु भेजा तथा मन है०कां० मय जाब्ता नाकाबंदी में रहा। वक्त 6.00–6.15 बजे खेतपालसिह व औमप्रकाश रैकी कर वापिस आये व बताया कि विद्युत लाइन के पास 4–5 व्यक्ति तार काट रहे है व एक गाडी खडी है जिनके इसी रास्ते से होकर गुजरने की संभावना है। जिस पर 15–20 मिनट तक हमने इंतजार किया। ताबाद रवाना होकर रैकी कर आये स्थान तक पहुंचे तो आगे पुलिस की गाडी आती देख गाडी में 4–5 लोग बैठकर भाग गये जिनका पीछा किया व रेत के धोरों में व झाडियों में टकराती हुयी गाडियां आगे जाकर धस गयी। हम ज्योंही नजदीक पहुंचे तो आगे बैठे दो व्यक्ति भागने लगे जिनका पीछा कर सत्यनारायण व रामचन्द्र दस्तयाब कर लाये। गाडी के अन्दर तीन ओर व्यक्ति बैठे थे। पांचों का नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम चन्दनसिह पुत्र तगसिह राजपूत निवासी छायण, दूसरे ने बाबूसिंह पुत्र तगसिंह राजपूत निवासी छायण, तीसरे ने सुमेरसिह पुत्र नखतसिंह निवासी छायण, चौथे ने आसुसिंह पुत्र नखतसिंह राजपूत निवासी बोडाणा तथा पांचवे ने पृथ्वीसिंह पुत्र तखतसिंह राजपूत निवासी बोडाणा होना बताया। गाडी को चैक किया गया तो गाडी नंबर आरजे 04 टीए 3320 बन्द बॉडी जिसकी पीछे की सीटें खोली हुयी थी तथा उसमें 132 के. वी. विद्युत लाइन के तारों के बण्डल भरे हुवे पाये गये जिनको चेक किया तो कुल आठ बण्डल भरे हुवे थे तथा वजनी करीब 7 क्विंटल थे। जिस पर पांचों मुलजिमान को धारा 136 विद्युत अधिनियम व 379 भा.दं.स. का अपराध किये जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तार व गाडी जब्त की गयी। सभी मुलजिमान मय तारों व गाडी के थाना लाया गया व रिपोर्ट

पेश कर मुकदमा दर्ज किया गया। फर्द जब्ती वाहन बन्द बॉडी बोलेरो प्रदर्शपी–01 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के, ई से एफ मुलजिम चन्दनसिह के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम चंदनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिह व आसुसिंह के कब्जे से तार के 7 बण्डल जब्त किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी–02 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के, ई से एफ, जी से एच. आई से जे, के से एल मुलजिमान के हस्ताक्षर एवं एम से एन मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम चंदनसिह, पृथ्वीसिह, आसुसिह, सुमेरसिह व बाबूसिह को रूबरू मौतबिरान गिरफतार किया था जिनकी गिरफ्तारी फर्द कमशः प्रदर्शपी 03 से लगायत 07 है जिस पर ए सेबी व सी से डी मौतबिरान के, ई से एफ मुलजिम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। बरामदा माल मैंने थाना आकर थाने के मालखाना में जमा करवाया था।" कथन किया है।

12. उक्त गवाह पी.डब्लू.01 दिलीप कुमार परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "मेरे द्वारा मुलजिम पृथ्वीसिंह, चंदनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह, आसूसिंह से 132 केवी के तार व माल जरिये फर्द जब्ती प्रदर्शपी–02 जब्त किया था जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ, जी से एच. आई से जे, के से एल, ओ से पी मुलजिमान के तथा एम से एन मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा नजरी जब्तीस्थल प्रदर्शपी–09 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन मुलजिमान के तथा ओ से पी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा मुलजिमान से जब्तसुदा माल थाना के मालखाना प्रभारी को जमा कराया गया था जिसका विवरण मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी–25 पर मद संख्या 35/3/18 में ए से बी भाग में अंकित है तथा सी से डी भाग में थानाधिकारी रेवंतसिंह द्वारा मुलजिमान से जब्तसुदा माल जमा करने का विवरण है। मेरे द्वारा किये गये अनुसंधान से व पत्रावली पर आये साक्ष्य से मुलजिम चंदनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह, आसूसिंह व पृथ्वीसिंह के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम व 379 भा.द.स. का प्रमाणित मान पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी को सुपुर्द की थी।" कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह बात सही है कि प्रदर्शपी–25 में उक्त मालखाना जमा करने अवथा सुपुर्द करने पर मेरे कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि जो भी संपत्ति आप चोरी होने के संबंध में बता रहे तो उसके संबंध में थाना से रवाना होने तक उस संपत्ति के संबंध में अथवा तारों के संबंध में किसी भी प्रकार की चोरी व लूट का मुकदमा दर्ज नहीं था। यह कहना भी सही है कि मैंने जो रिपोर्ट में तारें अभिजीत सोलर प्लांट द्वारा लगायी होने व उनके मालिकाना हक होने के बारे में लिखा है उनके द्वारा किसी तारों की चोरी होने के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी। अभिजीत सोलर प्लांट का मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/मेनेजर कौन था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उक्त लोगों द्वारा उक्त तारों की चोरी होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुयी थी। यह कहना भी सही है कि उक्त तारों की बरामदगी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसरण में नही की गयी थी। यह कहना भी सही है कि उक्त कथित तारों पर किसी प्रकार का कोई मार्का/चिन्ह नहीं लगे हुए थे तथा न ही किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ पाया गया था। यह बात सही है कि उक्त कथित तारों में किसी प्रकार का विद्युत प्रवाह नहीं तथा कई

सालों से बंद थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा किसी मुलजिम को चोरी करते हुए नहीं देखा। यह कहना सही है कि कथित अभिजीत सोलर प्लांट अथवा जहां से चोरी होना बता रहे है वहां से बरामद नहीं हुई थी। यह सही है कि कथित बरामदा तारें आज न्यायालय में पेश नहीं हैं। यह कहना भी सही है कि किसी कब्जे से उक्त तारें चोरी हुई मैं नहीं बता सकता।"

13. गवाह पी.डब्लू.02 गुमानसिंह नक्शा मौका का मौतबिर साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "मेरे सामने पुलिस ने कोई मौका नहीं देखा तथा न ही कोई कागज बनाये। मेरे पुलिस ने केवल हस्ताक्षर करवाये थे" कथन किया, जिस पर पक्षद्रोही करार दिया जो अभियोजन की ताईद नहीं करता है।

14. गवाह पी.डब्लू.03 ओमप्रकाश पुलिस कांस्टेबल ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 11.01.2018 को मैं पुलिस थाना नोख में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मध्यरात्रि में दिलीप कुमार हैड कां. को जरिये मुखबिर इतला मिली कि बोडाना, तालरिया के बीच 132 केवी की बन्द पडी विद्युत लाइन की तार गेंग काटने में लगी हुयी है। उक्त इतला पर थानाधिकारी को अवगत करवाकर दिलीप कुमार के साथ मैं, बाबूलाल, खेतपालसिंह, सत्यनारायण, रमेश कुमार व रामचन्द्र के साथ प्राइवेट वाहन से रवाना होकर तालरिया होते हुवे बोडाना से 3 किमी पहले 4 बजे पहुंचे जहां दाहिने तरफ कच्चे रास्ते पर वाहन के नीचे उतरने के टायरों के निशान नजर आये। जिस पर तार कटिंग करने आयी गैंग के संबंध में रैकी करने हेतु मुझे व खेतपालसिंह को कच्चे रास्तों में विद्युत टावरों की ओर भेजा। मैं व खेतपालसिहं रैकी करते हुवे कच्चे रास्ता से करीबन दो किमी आगे पहुंचे तथा टावरों के नीचे छिपते–छिपते रैकी की तो कच्चे मार्ग के पूर्व दिशा में टावरों के पास चार–पांच लोग टावरों की तार कटिंग कर रहे थे तथा पास में एक गाडी खडी थी। हम काफी देर तक उनकी गतिविधियों को देखते हुवे रैकी करते रहे। जब उन्होंने तार के बण्डल बनाने शुरू किये तो हमने वापिस आकर जाब्ता के साथ संदिग्धों की गाडी पकडने हेतु नाकाबंदी की। थोडी देर नाकाबंदी करने पर कच्चे रास्ता से उनकी गाडी आयी जिसने हमारे जाब्ता की गाडी देख भागने की कोशिश की तथा रास्ता नहीं होने से उनकी गाडी फंस गयी। फिर हमने पीछा किया तब गाडी में तीन आदमी बैठे थे तथा दो भागने लगे जिन्हें भी हमने दस्तयाब कर लिया। गाडी बन्द बॉडी की डीआई थी। उनकों हमने नाम पूछा तो चन्दनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह, आसूसिंह व पृथ्वीसिंह बताया। इनसे दिलीप कुमार ने पूछताछ की तो उन्होंने तालरिया व बोडाना के बीच बन्द पडी 132 केवी विद्युत लाइन के तार काटकर गाडी में भरना स्वीकार किया। जिस पर उनके विरूद्ध 379 भा.दं.स. व 136 विद्युत अधिनियम का अपराध होने से गाडी में भरे आठ बण्डल 132 के.वी. विद्युत लाइन के व 1 कुल्हाडी व एक लोहे का चिला व उक्त गाडी को वजह सबूत जब्त की व मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया। फर्द जब्ती 132 केवी विद्युत लाइन के 8 बण्डल प्रदर्शपी–02 है जिनका वजन करीबन 07 क्विंटल हुआ। प्रदर्शपी–02 रूबरू मौतबिरान बनायी जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती वाहन बन्द बॉडी बोलेरो आई आरजे 04 टीए 3320 प्रदर्शपी–01 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिमान चन्दनसिंह, पृथ्वीसिहं, आसूसिंह, सुमेरसिंह एवं बाबूसिंह को

जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–03 से लगायत प्रदर्शपी–07 के मेरे व खेतपालसिंह के रूबरू आइओ दिलीप कुमार ने गिरफ्तार किया जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगी वाले स्थान का नक्शा नजरी बनाया जो फर्द प्रदर्शपी–09 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम पृथ्वीसिंह से मेरे व खेतपालसिंह के रूबरू दो 132 केवी विद्युत तार के बण्डल जब्त कर फर्द प्रदर्शपी–10 बनायी तथा बरामदगी वाले स्थान का नक्शा नजरी फर्द प्रदर्शपी 11 बनायी जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम चन्दनसिंह के कब्जे से 132 केवी विद्युत लाइन के तीन बण्डल मेरे व खेतपालसिह के रूबरू जब्त कर फर्द प्रदर्शपी 12 बनायी तथा बरामदगी वाले स्थान का नक्शा नजरी फर्व प्रदर्शपी 13 बनायी जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। सभी मुलजिमान से जब्तसुदा 132 केवी विद्युत लाइन के बण्डलों कुल 13 का वजन किया गया जो कुल वजन 822 किलोग्राम हुआ जिसकी फर्द प्रदर्शपी.14 बनायी गयी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।" कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह सही है कि प्रदर्शपी–01 से लगायत 07 व प्रदर्शपी–09 से लगायत 14 दो अलग–अलग स्थानों से व भिन्न–भिन्न तारीख को कार्यवाही हुयी है जिसमें मैं व खेतपालसिहं दोनों पुलिसकर्मी मौतबिर है। दिनांक 11. 12 व 14.01.2018 को थाना से कथित बरामदगी स्थल पर जाने की रवानगी व वापिस आने की आमद रपटें पत्रावली में नहीं है। यह कहना सही है कि कथित बरामदसुदा तारें हमारे पुलिस विभाग की अथवा अन्य सरकारी विभाग की नहीं थी। उक्त तारें अभीजीत कम्पनी की थी। अभीजीत कम्पनी किसकी थी, किसके कब्जे से चोरी हुयी. उसका मालिक कौन है, मैं नहीं बता सकता। यह सही है कि कथित तारों के चोरी होने के सबंध में मुकदमा हमारे थाना में उनके द्वारा दर्ज नहीं था तथा न ही बाद में दर्ज करवाया गया। यह सही है कि कथित जब्तसुदा माल आज न्यायालय में पेश नहीं है। यह सही है कि उक्त 13 बण्डलों को सील–चेपा नहीं किया गया था। यह सही है कि उक्त कथित 13 बण्डलों पर पहचान संबंधी मार्का या चिन्ह अंकित नहीं था। तारें कितने कितने फीट की टुकडों में थी. मैं नहीं बता सकता। यह सही है कि कथित तारों की मुलजिमान के भौतिक व सचेतन कब्जे से बरामदगी नहीं हुयी थी। यह सही है कि बरामदगी स्थल सूनी पडी खुली जमीन है जहां कोई भी आ–जा सकता है।

15. गवाह पी.डब्लू.04 सत्यनारायण पुलिस कांस्टेबल ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "मैं दिनांक 11.01.2018 को मैं पुलिस थाना भणियाणा में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मध्यरात्रि दिलीप कुमार है. कानि. को जरिये मुखबिर इतला मिली कि सरहद बोडाना, तालरिया के बीच में 132 के.वी. की बन्द पडी विद्युत लाइन के तार को गैंग काटने में लगी हुयी है। उक्त इतला अनुसार दिलीप कुमार है. कानि. ने थानाधिकारी को अवगत कराकर दिलीप कुमार है. कानि., बाबुलाल कानि.. औमप्रकाश कानि., खेतपालसिंह कानि., रामचन्द्र कानि. व रमेश कुमार कानि. के साथ मैं जरिये प्राइवेट वाहन के रवाना होकर तालरिया होते हुवे सरहद बोडाना से 3 किमी पहले पहुंचे जहां दाहिनी तरफ कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी के दौरान वाहन के नीचे उतरने के टायरों के निशान नजर आये जिस पर रैकी करने हेतु कानि. औमप्रकाश व खेतपालसिंह को कच्चे रास्ते टावरों की तरफ भेजा। थोडी देर वापिस आये व सूचना दी कि टावरों के नीचे चार–पांच

व्यक्ति बैठे है तथा पास में गाडी खडी है तथा वे तार कटिंग कर रहे है तथा गाडी में भर रहे है तथा इस तरफ आने की संभावना है। थोडी देर तक इंतजार किया तो वो नहीं आये तब वहां से रवाना होकर कच्चे रास्ते से टावरों की तरफ गये तो पुलिस की गाडी की लाइट देखकर उन्होंने अपनी गाडी स्टार्ट कर ली व भागने लगे तब हमने रूकवायी तो गाडी के आगे की सीट पर तीन व्यक्ति बैठे थे तथा उनको दस्तयाब किया तथा दो व्यक्ति गाडी में से भाग गये तब मैंने व रामचन्द्र कानि. ने दस्तयाब कर दोनों को है. कानि. दिलीप कुमार के पास लेकर आये तब है. कानि. दिलीप कुमार ने उक्त पांचों को अपना–अपना नाम–पता पूछा तो चंदनसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह निवासी छायण तथा आसुसिंह व पृथ्वीसिंह निवासी बोडाना होना बताया। इनसे वाहन में भरे विद्युत तार के बारे में हैड कानि. दिलीप कुमार द्वारा पूछताछ की गयी तो पास में ही बन्द पडी विद्युत लाइन काटकर चुराकर गाडी में होना बताया गया। पास ही चल रही विद्युत लाइन की तरफ नजर दौडायी गयी तो पंपिग स्टेशन नंबर 01 से अभीजीत सौलर प्लाण्ट को जाने वाली बन्द पडी विद्युत लाइन के तारों में से उपरी एक लाइन के अलावा बाकी चार तारों की लाइन गायब पायी गयी। मौके पर स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होने से कानि. औमप्रकाश व खेतपालसिहं को मौतबिर मामुर कर फर्दे बनाकर वाहन व चोरी का माल जब्त कर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। तारें कुल 8 बण्डल थी जिनका लगभग वजन 7 क्विंटल था।" कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "रात्रि का समय था। प्रदर्शपी–01 से लगायत प्रदर्शपी–07, प्रदशपी–09 से लगायत 14 पर मेरे कहीं पर हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही अन्य किसी फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है। यह सही है कि उक्त तारें सरकारी विभाग या पुलिस विभाग की नहीं है। यह सही है कि कथित तारें चोरी होने के संबध में हमारी रवानगी से पहले थाना में दर्ज नहीं था। तारें जिस कम्पनी की थी किसके कब्जे की थी व कौन मालिक था, उनके द्वारा उक्त तारें चोरी के संबध में मुकदमा थाना में दर्ज नहीं कराया गया था। कथित तारें आज न्यायालय में मेरे सामने नही है। कथित तारों पर पहचान संबधी मार्का या पहचान चिन्ह अंकित नहीं था। कथित तारें कितने टुकडों में थी व कितने फीट के टुकडे थे, मालूम नहीं है। कथित तारें मुलजिम के उठायी हुयी या भौतिक व सचेतन कब्जे में से जब्त नहीं की थी। "

16. गवाह पी.डब्लू.05 रामचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 11–12.01.2018 को मध्यरात्रि में हैड कानि. दिलीप कुमार को जरिये मुखबिर इतला मिली कि बोडाना क्षेत्र में अभिजीत कम्पनी की बन्द विद्युत लाइन की तार की कटिंग हो रही है। तब थाना से दिलीप कुमार हैड कानि.. बाबूलाल कानि.. औमप्रकाश कानि.. रमेश कानि., सत्यनारायण कानि., खेतपालसिंह कानि. व मैं प्राइवेट वाहन से थाना से 03.30 बजे रवाना होकर बोडाना से तीन किमी पहले रोड के दाहिने साइड में कच्चा रास्ता जाता है, जहां खड़े हो गये व हमने दिलीप कुमार हैड कानि. के साथ नाकाबंदी की तथा औमप्रकाश व खेतपालसिंह को आसपास में रैकी करने के लिए वहां से भेज दिया। फिर खेतपालसिंह व औमप्रकाश वापिस आये व बताया कि तार कटिंग हो रही है। फिर हमने गाडी का इंतजार वहां पर किया। गाडी वहां पर नहीं आयी तो हम कच्चे रास्ते से गाडी के पास गये तो वो हमारी गाडी को देखकर अपनी गाडी भगाने लगे तो उनकी गाडी फंस गयी। मैं व

सत्यनारायण उनके पास गये तो गाडी में आगे की सीट पर बैठे दो व्यक्ति भागने लगे जिन्हें पकडकर हमारी गाडी के पास लाये जिन्हें नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम चंदनसिंह व दूसरे ने अपना नाम बाबूसिंह बताया। उनकी गाडी के नबंर आरजे 04 टीए 3320 थे। गाडी के अंदर तार के आठ बण्डल थे। फिर हैड कानि. दिलीप कुमार ने मौके की समस्त कार्यवाही की व कार्यवाही के बाद माल को गाडी में साथ लेकर थाना आये। मुलजिमान जिन्हें पकडा था, उन्हें भी थाना में लाये थे। फिर थाना में आगे आइओ ने कार्यवाही की थी। उनके साथ तीन आदमी और थे जिनके नाम आसूसिंह, सुमेरसिंह व पृथ्वीसिंह थे।" कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह सही है कि फर्द जब्ती वाहन प्रदर्शपी–01, फर्द जब्ती तारें प्रदर्शपी–02, प्रदर्शपी 03 से लगायत प्रदर्शपी–07 फर्द गिरफ्तारियां, फर्द नक्शा मौका प्रदर्शपी–08, फर्द नक्शा नजरी प्रदर्शपी–09 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि उस रोज की हमारे थाना से रवाना होने व वापिस आने की रोजनामचा की आमद व रवानगी रपट की नकल पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि कथित जब्तसुदा तारें आज मेरे सामने अदालत में नही है। इन तारों की पहचान मेरे सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी थी। यह सही है कि हमारा जाब्ता रवाना हुआ, तब तक थाना में उक्त तारों की चोरी के संबध में उसके मालिक अथवा कब्जाधारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। कथित तारें अनुपयोगी थी। मैंने किसी को तारें काटवे हुवे को नही देखा। मुलजिमान के सचेतन भौतिक कब्जे से तारें बरामद नहीं हुयी थी। कथित बरामदगी स्थल खुला था जहां पर कोई भी आ–जा सकता था। किसी भी फर्द पर सिविलियन व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। मुलजिमान के विरूद्ध किसी भी कम्पनी की ओर से कथित घटना करने की एफआइआर पेश नहीं की गयी थी।"

17. गवाह पी.डब्लू.06 बाबूलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 11–12.01.2018 की मध्यरात्रि को दिलीप कुमार हैड कानि. को सूचना मिली कि तालरिया–बोडाना के बीच बिजली के तार काट रहे। फिर हैड कानि. दिलीप कुमार के साथ मैं, खेतपालसिंह, सत्यनारायण कानि, औमप्रकाश कानि, रमेश कानि., रामचन्द्र कानि. जरिये प्राइवेट साधन के करीब 03.30 बजे थाना से रवाना हुवे तथा तालरिया–बोडाना के बीच कच्चे रास्ते पर पहुंच नाकाबंदी की। कच्चे रास्ते से बिजली लाइन की तरफ रैकी हेतु हैड कानि. दिलीप कुमार ने कानि. खेतपालसिंह व औमप्रकाश को भेजा गया। हम वहां नाकाबंदी में रहे। उसके कुछ समय बाद दोनों वापिस आये व बताया कि बिजली लाइन काटी जा रही है। जिस पर हैड साहब के साथ हमारा जाब्ता लाइन के नीचे नीचे जहां कच्चा रास्ता था, वहां रवाना हुवे। आगे कुछ दूरी पर गाडी व पुलिस जाब्ता को देखकर एक बोलेरो डीआई गाडी उजड रास्ते से भगाने लगा। फिर उसको घेरकर हमारे जाब्ता द्वारा रोकाया गया। आगे की सीट पर दो आदमी बैठे थे। पीछे वाले तीन आदमी गाडी से उतरकर भागने लगे। तब जाब्ता द्वारा सभी को घेरा गया। गाडी के नंबर देखे तो वाहन बोलेरो डीआई आरजे 04 टीए 3320 जिसके कांच टूटे हुवे थे व अंदर आठ बण्डल बिजली की तार के गिनने पर पाये गये। दिलीप कुमार ने उक्त पांचों से नाम–पते पूछे तो उन्होंनें अपने–अपने नाम क्रमशः चंदनसिंह, बाबूसिंह, आसुसिंह, सुमेरसिंह एवं पृथ्वीसिंह

बताये जिनमें चंदनसिंह व बाबूसिंह छायण के थे व सुमेरसिंह, आसुसिंह व पृथ्वीसिंह बोडाना के थे। फिर दिलीप कुमार ने पूछा कि यह माल कहां से चुराया है तो उन्होंनें कहा कि अभिजीत कम्पनी की विद्युत तार चुरायी है। मौके पर एल्युमिनियम की तारों के आठ बण्डल व उक्त वाहन को जब्त किया था तथा लोहे की कुल्हाडी व छिला जिससे तार काटते है, को जब्त किया था। फिर मुलजिमान को गिरफ्तार कर थाना लाये व दिलीप कुमार ने एसएचओ साहब को लिखित रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करने के लिए दी व उक्त जब्तसुदा माल को एचएम मालखाना को सुपुर्द किया व मुलजिमान को बन्द हावालात किये।" कथन किया हैं।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह सही है कि फर्द जब्ती वाहन प्रदर्शपी–01, फर्द जब्ती तारें प्रदर्शपी–02, प्रदर्शपी–03 से लगायत प्रदर्शपी–07 फर्द गिरफ्तारियां, फर्द नक्शा मौका प्रदर्शपी–08, फर्द नक्शा नजरी प्रदर्शपी–09 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि उस रोज की हमारे थाना से रवाना होने व वापिस आने की रोजनामचा की आमद व रवानगी रपट की नकल पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि कथित तारें आज न्यायालय में मेरे सामने नही है। यह कहना सही है कि कथित तारों की पहचान मेरे सामने मजिस्ट्रेट से नहीं करायी थी। यह सही है कि हमरा जाब्ता जब थाना से रवाना हुआ था, तब तक उक्त तारों के मालिक अथवा कब्जाधारी द्वारा उक्त तारें चोरी करने के संबंध में एफआइआर दर्ज थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैंने तारों को काटते हुवे किसी को नहीं देखा था। यह सही है उक्त तारें हमारे पुलिस विभाग की नहीं है। मुलजिमान के सचेतन व भौतिक कब्जे से बरामदगी नहीं हुयी थी। यह सही है कि बरामदगी गाडी में से हुयी थी जो गाडी खुली जगह में थी जहां पर कोई भी आ–जा सकता है। "

18. गवाह पी.डब्लू.07 रमेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 11–12.01.2018 की मध्यरात्रि को हैड कांस्टेबल दिलीप कुमार, औमप्रकाश, रामचन्द्र, खेतपालसिंह, बाबूराम 03.00–03.30 बजे थाना से प्राइवेट वाहन से सरहद बोडाना के लिए निकले। एसएचओ को तार चोरी की इतला मिली थी तब हम रवाना हुवे थे। लगभग बोडाना से तीन किमी पहले सुनसान जगह पर अभिजीत कम्पनी की विद्युत लाइन निकली हुयी थी जिसके पास से एक कच्चा रास्ता जाता है। उस कच्चे रास्ते पर गाड़ी के टायरों के नये निशान थे। वहां पर हमारे जाब्ता में से औमप्रकाश व खेतपालसिंह को तस्दीक करने के लिए भेजा। फिर उन्होंने जरिये टेलीफोन बताया कि चार–पांच लोग तार काट रहे है व उनके पास एक गाडी है जिसके नंबर आरजे 04 टीए 3320 है। फिर पन्द्रह–बीस मिनट बाद उन्होंने बताया कि ये गाडी में तार भरकर पन्द्रह–बीस मिनट में रवाना होने वाले है। जिस पर हमारे जाब्ता ने उस रास्ते पर नाकाबंदी की। फिर वो गाडी उस रास्ते पर नहीं आयी तब हमरा जाब्ता पूर्व में रैकी करने भेजे गये वाले स्थान पर प्राइवेट वाहन से गये। हमारा जाब्ता जैसे ही पहुंचा तब वो अपनी बोलेरो गाडी आरजे 04 टीए 3320 को भगाने लगे। गाडी के अंदर तांबे की तार के बण्डल भरे हुवे थे। रास्ता उजड व रेतीला होने से गाडी बन्द हो गयी जिसमें से दो व्यक्ति भागने लगे व तीन व्यक्ति गाडी में बैठे थे। फिर हमने दोनों को पीछे भागकर पकड लिया। फिर हमने उक्त पांचो को नाम–पता पूछा तो उन्होंनें

अपने नाम चंदनसिंह, बाबूसिंह, पृथ्वीसिंह, आसुसिंह व सुमेरसिंह बताया। फिर मौके पर तार के बण्डल जब्त किये व तार काटने की लोहे की कुल्हाडी व लोहे का चीला जब्त किया व गाडी को भी वहां पर जब्त किया। फिर गाडी, मुलजिमान व जब्तसुदा सामान को लेकर थाना आयें। जब्तसुदा माल को मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया। फिर हैड कांस्टेबल दिलीप कुमार ने एसएचओ को मुकदमा दर्ज करने हेतु लिखित रिपोर्ट पेश की। जब्तसुदा माल का कांण्टे से तौल करके मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया था।" कथन किया हैं।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह सही है कि फर्द जब्ती वाहन प्रदर्शपी–01, फर्द जब्ती तारें प्रदर्शपी–02, प्रदर्शपी–03 से लगायत प्रदर्शपी–07 फर्द गिरफ्तारियां, फर्द नक्शा मौका प्रदर्शपी–08, फर्द नक्शा नजरी प्रदर्शपी–09 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि उस रोज की हमारे थाना से रवाना होने व वापिस आने की रोजनामचा की आमद व रवानगी रपट की नकल पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि कथित जब्तसुदा तारें आज मेरे सामने अदालत में नही है। इन तारों की पहचान मेरे सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी थी। यह सही है कि हमारा जाब्ता रवाना हुआ, तब तक थाना में उक्त तारों की चोरी के संबंध में उसके मालिक अथवा कब्जाधारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। बरामदसुदा नंगी तारें थी जिन पर किसी का पहचान मार्का अंकित नही था। कथित तारें अनुपयोगी थी। मैंने किसी को तारें काटवे हुवे को नही देखा। मुलजिमान के सचेतन भौतिक कब्जे से तारें बरामद नहीं हुयी थी। कथित बरामदगी स्थल खुला था जहां पर कोई भी आ–जा सकता था। किसी भी फर्द पर सिविलियन व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। मैं मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था। तारें पुलिस विभाग की नहीं थी तथा न ही अन्य किसी सरकारी विभाग की थी। मुलजिमान के विरूद्ध किसी भी कम्पनी की ओर से कथित घटना करने की एफआइआर पेश नहीं की गयी थी।"

19. गवाह पी.डब्लू.08 सवाईसिंह नक्शा मौका का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "तीन–चार साल पहले की बात है। पुलिस ने मेरे सामने मौका देखा था जो हमारे गांव में तार तोडकर ले गये थे, उसका मौका देखा था। मौका रिपोर्ट प्रदर्शपी–08 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।" कथन किया हैं।

20. गवाह पी.डब्लू.09 अभयसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 12 व 13 जनवरी 2018 की बात है। मैं नोख अभिजीत सोलर पॉवर प्लाण्ट में सेक्यूरिटी सुपरवाइजर के पद पर पदस्थापित था। कम्पनी की लाइन कम्पनी से लेकर पीएस–01 तक लगी हुयी थी जिसमें ट्रांसमीशन लाइन की दो खंभों की तार चंदनसिंह वगैरा जो कि छायण के निवासी है, काटकर ले गये थे। फिर हमने पीएस नोख में मुकदमा दर्ज कराया था। मैंने इस घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नोख में पेश की थी जो प्रदर्शपी–15 है जिस पर ए से बी मेरे दो स्थानों पर हस्ताक्षर है। हमें चोरी की सूचना वहां के खेत वालों ने दी थी जिसका नाम याद नहीं है। खेत मालिक ने फोन कर सेक्यूरिटी गार्डो को सूचना दी कि गाडी में कोई चोर तार भरकर ले जा रहे है। फिर रात्रि में गार्डो ने मुझे फोन किया। फिर मैंने रात्रि में थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी।" कथन किया हैं।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह कहना सही है कि मैं अभीजीत सोलर

पॉवर प्लाण्ट कम्पनी का सेक्यूरिटी सुपरवाइजर नहीं हूं। यह कंपनी वर्ष 2013 से बंद पडी थी जिनके द्वारा बिजली का तारों में प्रवाह नही किया जाता है, अजखुदकहा कि अभीजीत सोलर पॉवर प्लाण्ट ने बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया था। बैंक वालों व उक्त कम्पनी का लोनिंग के मामलें में विवाद हो गया था, जिस कारण काम बंद हो गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि इस कम्पनी द्वारा कितनी तारें, कहां पर लगायी है। मेरे से किसी तारों की पहचान नही करायी थी व न ही आज तारें मेरे सामने न्यायालय में है।

21. गवाह पीडब्ल्यू 10 रेंवतसिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 12.01.2018 को मैं पुलिस थाना नोख में मैं थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज हैड कांस्टेबल दिलीप कुमार द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्शपी–16 है जिस पर ए से बी दो जगह मुस्तगीस के हस्ताक्षर है तथा सी से डी कायमी मुकदमा व कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है तथा ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। चॉक एफआईआर प्रदर्शपी 17 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मुस्तगीस दिलीपकुमार, खेतपालसिंह, ओमप्रकाश, सत्यनारायण, बाबूलाल, रमेश कुमार, रामचंद्र, के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। जेर हिरासत मुलजिम पृथ्वीसिंह व चंदनसिंह ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचना दी कि मैंने व चंदनसिंह ने 132 केबी विद्युत लाईन के तार सरहद बोडाना से चुराये थे वो बोडाना में टॉवरो के पूर्व व उत्तर दिशा में झाडियों में रेत के नीचे छिपा रखे है जो मैं जहां छिपा रखे है, मैं साथ चल के बता सकता हूं जो प्रदर्शपी–18 व 19 है जिस पर ए से बी मुलजिम के तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका रूबरू मौतबिरान देखा था जो प्रदर्शपी–08 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ व जी से एच मौका दिखाने वाले के हस्ताक्षर है तथा आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 132 केबी विद्युत लाईन मुलजिम पृथ्वीसिंह की निशांदेही पर दो बंडल विद्युत लाईन के पाये गये जो फर्द जब्ती प्रदर्शपी–10 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल प्रदर्शपी–11 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती 132 केबी विद्युत लाईन मुलजिम चंदनसिंह की निशांदेही पर तीन बंडल विद्युत लाईन के पाये गये जिसमें 7 लोहे के व 30 एलुमिनियन के गूंथे हुये तार पाये गये जो फर्द जब्ती प्रदर्शपी 12 है जिस पर एसे बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल प्रदर्शपी–13 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्तसुदा 132 केवी विद्युत लाईन के तार 13 बंडलों के रूबरू मौतबिरान व मुस्तगीस के इलेक्ट्रिक कांटे के तोल किया तो सभी 13 बंडलों का कुल वजन 8 कविंटल 22 किलोग्राम होना पाया जो फर्द तोलसुदा प्रदर्शपी–14 है ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा ई से एफ मुस्तगीस के तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मैंने घटना में प्रयुक्त वाहन नं. RJ04 TA 3320 व मय माल की फॉटोग्राफी प्रदर्शपी–20 से 24 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जब्तसुदा वाहन के कागजात आरसी प्रमिट, इंशोरेश की फॉटोप्रति शामिल

पत्रावली की। मेरे सेवानिवृत होने के बाद में पत्रावली अन्य आईओ कुशलसिंह को सुपुर्द की थी। "कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह कहना सही है कि प्रदर्शपी–8, 10, 11, 12, 13 व 14 वाले स्थानों पर जाने व आने के संबंध में रोजनामचा आम की नकल पत्रावली में लगी हुयी नहीं है। यह कहना सही है कि कथित बरामदा तारे आज अदालत में पेश नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने उक्त कथित तारों की पहचान किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवादी द्वारा नहीं करवायी। कथित बरामदा तारे जो प्रदर्शपी–08 से 14 तक दर्शायी गयी तारे नंगी थी उनमें किसी प्रकार का पहचान मार्का नहीं था और ऐसी तारे सामान्य बाजार में उपलब्ध रहती है। कथित तारों की पहचान किसी के द्वारा नहीं करायी गयी थी। मेरे द्वारा दौराने अनुसंधान तारों की खरीद व अन्य तोल के संबंध में दस्तावेज कंपनी वालों से नहीं लिये। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी–8 से 14 वाला स्थान खुला व सार्वजनिक स्थान है जहां कोई भी आजा सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी–08 में घटनास्थल में वर्णित घटना से संबंधित किसी प्रकार के आलामात नहीं पाये गये थे। यह कहना सही है कि घटनास्थल व बरामदगी स्थलों की फॉटोग्राफी नहीं करायी गयी थी। यह सही है कि कथित तोल माल कथित बरामदगी स्थल पर नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त कथित तारों के संबंध में किसी व्यक्ति या तारों के संपति के मालिक या कब्जाधारी कहीं पर भी अथवा हमारे थानें में चोरी, लूट, डकैती के संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि प्रकरण में सभी गवाह पुलिस के हैं। यह कहना सही हैं कि उक्त प्रकरण में किसी भी सिविलियन को गवाह नहीं रखा है तथा बयान नहीं लिये है।"

22. गवाह पीडब्ल्यू 11 कुशलसिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में, "दिनांक 28.02.2018 को मैं पुलिस थाना नोख में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पूर्व अनुसंधान अधिकारी/एसएचओ सेवानिवृत होने से उक्त पत्रावली में अग्रिम अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया था जिसमें गवाह अभयसिंह के बयान लिया जाकर उक्त पत्रावली में अनुसंधान पूर्ण कर मुलजिमान चंदनसिंह, पृथ्वीसिंह, आशुसिंह, सुमेरसिंह, बाबूसिंह के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 379 भा.द.स. व 136 विद्युत अधिनियम में प्रमाणित पाया गया एवं पाया जाने उपरांत न्यायालय हाजा में मेरे द्वारा पेश किया।"कथन किया है।

जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि, "यह कहना सही है कि गवाह अभयसिंह के किसी कंपनी में नौकरी के होने से संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण की तारों की चोरी,लूट के होने के संबंध में किसी कंपनी व कब्जाधारी के द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी।

23. उपरोक्त गवाहान के कथनों की साक्ष्य का विवेचन किया जाए तो गवाह पी.डब्लू.01 दिलीप कुमार जिसके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श.पी.16 दर्ज करवाई गई है, अपनी जिरह में जाहिर करता हैं कि तारों की चोरी के संबंध में किसी भी प्रकार की चोरी व लूट का मुकदमा दर्ज नहीं था। तारें अभिजीत सोलर प्लांट द्वारा लगायी होने व उनके मालिकाना हक होने के बारे में उनके द्वारा किसी तारों की चोरी होने के संबंध में कोई

रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी। उक्त लोगों द्वारा उक्त तारों की चोरी होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी थी। उक्त कथित तारों पर किसी प्रकार का कोई मार्का/चिन्ह नहीं लगे हुए थे तथा न ही किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ पाया गया था। उक्त कथित तारों में किसी प्रकार का विद्युत प्रवाह नहीं तथा कई सालों से बंद थी। कथित अभिजीत सोलर प्लांट अथवा जहां से चोरी होना बता रहे है वहां से बरामद नहीं हुई थी। कथित बरामदा तारें आज न्यायालय में पेश नहीं हैं।

24. गवाह पी.डब्लू.02 गुमानसिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता हैं।

25. गवाह पी.डब्लू.03 ओमप्रकाश जो कि पुलिस जाब्ता का कर्मचारी है, अपनी जिरह में जाहिर करता है कि कथित तारों के चोरी होने के सबंध में मुकदमा उनके थाना में कंपनी वालों द्वारा दर्ज नहीं था तथा न ही बाद में दर्ज करवाया गया। कथित जब्तसुदा माल न्यायालय में पेश नहीं है।

26. गवाह पी.डब्लू.04 सत्यनारायण जो कि पुलिस जाब्ता का कर्मचारी है, अपनी जिरह में जाहिर करता है कि कथित तारें चोरी होने के संबध में उनकी रवानगी से पहले थाना में मुकदमा दर्ज नहीं था। तारें जिस कम्पनी की थी किसके कब्जे की थी व कौन मालिक था, उनके द्वारा उक्त तारें चोरी के संबध में मुकदमा थाना में दर्ज नहीं कराया गया था। कथित तारें न्यायालय में उनके सामने नही है। कथित तारों पर पहचान संबधी मार्का या पहचान चिन्ह अंकित नहीं था।

27. गवाह पी.डब्लू.05 रामचन्द्र जो कि पुलिस जाब्ता का कर्मचारी है, अपनी जिरह में जाहिर करता है कि थाना में उक्त तारों की चोरी के संबध में उसके मालिक अथवा कब्जाधारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। कथित तारें अनुपयोगी थी। मुलजिमान के सचेतन भौतिक कब्जे से तारें बरामद नहीं हुयी थी। कथित बरामदगी स्थल खुला था जहां पर कोई भी आ–जा सकता था। मुलजिमान के विरूद्ध किसी भी कम्पनी की ओर से कथित घटना करने की एफआइआर पेश नहीं की गयी थी।

28. गवाह पी.डब्लू.06 बाबूलाल जो कि पुलिस जाब्ता का कर्मचारी है, अपनी जिरह में जाहिर करता है कि कथित तारें न्यायालय में उनके सामने नही है। कथित तारों की पहचान उसके सामने मजिस्ट्रेट से नहीं करायी थी। मुलजिमान के सचेतन व भौतिक कब्जे से बरामदगी नहीं हुयी थी। बरामदगी गाडी में से हुयी थी जो गाडी खुली जगह में थी जहां पर कोई भी आ–जा सकता है।

29. गवाह पी.डब्लू.07 रमेश कुमार जो कि पुलिस जाब्ता का कर्मचारी है, अपनी जिरह में जाहिर करता है कि कथित जब्तसुदा तारें आज अदालत में नही है। इन तारों की पहचान उासके सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं करायी थी। बरामदसुदा नंगी तारें थी जिन पर किसी का पहचान मार्का अंकित नही था। कथित तारें अनुपयोगी थी। मुलजिमान के सचेतन भौतिक कब्जे से तारें बरामद नहीं हुयी थी। कथित बरामदगी स्थल खुला था जहां पर कोई भी आ–जा सकता था। मुलजिमान के विरूद्ध किसी भी कम्पनी की ओर से कथित घटना करने की एफआइआर पेश नहीं की गयी थी।

30. इस प्रकार उपरोक्त गवाहान पी.डब्लू.04 सत्यनारायण, पी.डब्लू.05 रामचन्द्र,

पी.डब्लू.06 बाबूलाल एवं पी.डब्लू.07 रमेश कुमार जो कि परिवादी पी.डब्लू.01 दिलीप कुमार के साथ जाब्ता दल के सदस्य थे। उक्त गवाहान के जिरह में किये गये उपर्युक्त कथनों से अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

31. इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में बरामद माल की शिनाख्त नहीं कराई गई हैं। चोरी होने की रिपोर्ट वक्त बरामदगी माल नहीं दी गई हैं। प्रदर्श.पी.15 अभिजीत कंपनी की तरफ से अभिजीत सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी ने दिनांक 31.03.2018 को रिपोर्ट दी है जबकि प्रदर्श.पी.16 रिपोर्ट दिलीप कुमार हैड कांस्टेबल ने दी है, जिसकी चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट नहीं है न ही उसकी कोई सूचना है। यह रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 को देकर माल जब्त किया गया है जबकि अभिजीत कंपनी के कर्मचारी ने रिपोर्ट दिनांक 31.03.2018 को दी है, बरामद माल की शिनाख्त नहीं हैं।

32. जबकि गवाह पी.डब्लू.09 अभयसिंह जिसने घटना के करीब तीन माह बाद रिपोर्ट दी है। अपने बयानों की जिरह में जाहिर करता है कि यह कंपनी वर्ष, 2013 से बंद पडी थी जिनके द्वारा बिजली का तारों में प्रवाह नहीं किया जाता है। अभिजीत सोलर पॉवर प्लांट ने बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया था। बैंक वालों व उक्त कम्पनी का लोनिंग के मामले में विवाद हो गया था, जिस कारण काम बंद हो गया था। उससे किसी तारों की पहचान नहीं करायी थी व न ही आज तारें उसके सामने न्यायालय में है।

33. उपरोक्त तमाम गवाहान जो अभियोजन पक्ष ने पेश किये है कोई भी ऐसा गवाह नहीं हैं जो बरामद माल को अपना होना मानता हो। कंपनी का कोई मालिक है, वह भी पेश नहीं हुआ है। रिपोर्ट हैड कांस्टेबल दिलीप कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है। बरामद माल हैड कांस्टेबल का नहीं है न ही अभिजीत प्लांट हैड कांस्टेबल की हैं। बरामद माल पर कोई मार्का, चिन्ह या निशान नही है। हस्तगत प्रकरण में बरामद माल भी न्याालय में पेश नहीं हुआ हैं।

34. ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित जुर्म से जोडने हेतु कोई संगतकारी, कड़ीबद्ध, विश्वसनीय, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे निश्चयात्मक रूप से यह अवधारणा लेने में पूर्णतया असमर्थ है कि वस्तुतः अभियुक्तगण द्वारा ही आरोपित जुर्म कारित किया गया हो। इस प्रकार अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी हैं और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होने व बरामदगी कार्यवाही संदेहास्पद होने से अभियोजन संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहा है।

35. अतः पत्रावली पर मुल्जिमान चन्दनसिंह, पृथ्वीसिंह, आसुसिंह, सुमेरसिंह एवं बाबूसिंह के खिलाफ धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम का आरोप अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः मुल्जिमान धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

36. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **चन्दनसिंह** पुत्र तगसिंह उम्र 32 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर, **पृथ्वीसिंह** पुत्र तखतसिंह उम्र 34 साल

निवासी बोड़ाना पुलिस थाना, नोख जिला जैसलमेर, **आसुसिंह** पुत्र नखतसिंह उम्र 28 साल निवासी बोड़ाना पुलिस थाना, नोख जिला जैसलमेर, **सुमेरसिंह** पुत्र नखतसिंह उम्र 29 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर एवं **बाबूसिंह** पुत्र तगसिंह उम्र 47 साल निवासी छायण पुलिस थाना, रामदेवरा जिला जैसलमेर को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता हैं।

37. अभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगे।

38. हस्तगत प्रकरण में जब्तसुदा वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आरजे 04 टीए 3320 को सुपुर्दगीदार को सुपुदर्गीनामा एवं जमानतनामा पर दिया हुआ है जो सुपुदर्गीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझे जावे। हस्तगत प्रकरण में अन्य वजह सबूत विद्युत लाईन के तार या अन्य कोई वजह सबूत यदि न्यायालय के मालखाना या थाने के मालखाना में जमा हो तो उनका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।

39. निर्णय आज दिनांक–18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

KAMAL KANT PALIWAL
Verified
Digitally signed by KAMAL KANT PALIWAL

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।